न्यायालयः सुश्री शुभदा गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

दां.प्र.क्र. – 762/2022
संस्थित दिनांक–12.10.2022
शासन बनाम राजेन्द्र महिलांगे

//आदेश पत्रक//

29.07.2025 राज्य द्वारा एडीपीओ उप. ।

आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत हैं।

आरोपी के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट अदम तामिल वापस प्राप्त ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त **दिनांक 12.10.2022** से अभियोग प्रस्तुति दिनांक से प्रकरण में अनुपस्थित है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका हैं, किन्तु आज पर्यन्त तक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं किया जा सका हैं। प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित है । उक्त प्रकरण वर्तमान में अपराध विवरण के स्तर है एवं अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उक्त प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा हैं। अभियुक्त के विरूद्ध बार–बार गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने में न्यायालय का अमूल्य समय और शासन का धन व्यय हो रहा हैं। प्रकरण में अभियुक्त के लंबे समय से चली आ रही अनुपस्थिति के कारण उसके शीघ्र गिरफ्तार होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती हैं। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 299**

दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए **अभियुक्त राजेन्द्र महिलांगे** को **फरार** घोषित किया जाता हैं। उसके विरूद्ध **स्थायी गिरफ्तारी वारंट** जारी किया जावें।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण सुव्यवस्थित कर सुरक्षित रखे जाने के टीप के साथ अविलंब अभिलेखागार प्रेषित किया जावें।

सही/–
(सुश्री शुभदा गोयल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर चांपा छ.ग.